8/12 8/09

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली

क्रमांक : शिविपा / माध्य / सामा. / मान्यता / 09–10 / दिनांक : अगस्त,2009

–:: कार्यालय आदेश ::–

गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विधालयों को माध्यमिक स्तर की मान्यता दिये जाने सम्बंधी स्थानीय कार्यालय के पूर्व आदेशांकः शिविपा / माध्य / सामान्य / मान्यता / 09–10 / 1498 दिनांक 19 जून 2009 के क्रम संख्या 12 पर अंकित मरूधर बालिका विधापीठ इंग्लिश मिडियम डे–बोर्डिंग विधावाडी, रानी (अंग्रेजी माध्यम) के स्थान पर लीला देवी पारसमल संचेती इंग्लिश मिडियम स्कूल, विधावाडी, रानी स्टेशन (अंग्रेजी माध्यम) आंशिक संशोधन किया जाता हैं।

साथ ही उक्त संस्था को इस कार्यालय के आदेशांकः शिविपा / माध्य / सामान्य / 09–10 / 1549 दिनांकः 30.06.09 के द्वारा सत्र 09–10 से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी एतद द्वारा प्रदान की जाती हैं। शेष सभी शर्ते पूर्व आदेशानुसार यथावत लागू रहेगी।

-Sd-
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

क्रमांक : शिविपा / माध्य / सामा. / मान्यता / 09–10 / 1210 दिनांक : 12 अगस्त,2009

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
3. श्रीमान् उप निदेशक (माध्यमिक) जोधपुर।
4. सम्बंधित संस्था प्रधान।
5. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) पाली

PRINCIPAL
LEELADEVI PARASMAL SANCHETI ENG. MED. SR. SEC. SCHOOL
C.B.S.E. Affiliation No. 1730491
Vidyawadi-Khimel,St. Rani (Dist. Pali) Raj. 306115

Anuj .C:\My Documents\vinod purohit\IManyata_order.doc

SCC Eng

प्रारूप-2

(नियम 8-क का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) पाली, राजस्थान

क्रमांक:जिशिअ/प्रारं/पाली/निजी/मान्यता/2012/ Sec./Eng/131 दिनांक :- 15/3/17

अध्यक्ष/प्रबंधक,
प्रबंध समिति
लीलाबाई पारसमल संचेती (Eng.) सेकण्डरी स्कूल विद्यावाड़ी खिंमेल
पंचायत समिति ....बाली..........

विषय :- नियम 8-क के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपकें आवेदन दिनांक .... और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं .... लीलाबाई पारसमल संचेती (अंग्रेजी माध्यम) सेकण्डरी विद्यालय विद्यावाड़ी-खिंमेल ..... को ....2013-14.................. से ....2015-16.................. तक तीन वर्ष के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विचारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालाकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों को पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :-
   - विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा मे रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा।
   - किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
   - प्रारम्भिक शिक्षा पूण्र करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विधार्थियों को सम्मिलित किया जाये।
   - अध्यापक, 2009 के अधिनियम को धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें।

PRINCIPAL
LEELADEVI PARASMAL ... ENG. MED. SR. SEC. SCHOOL
C.B.S.E. Affiliation No. 1730491
Vidyawadi-Khimel,St. Rani (Dist. Pali) Raj. 306115

परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

- अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हे, और
- अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :-
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्र 19616 sq.ft.
   - कुल निर्मित क्षेत्र 1823 sq.ft.
   - खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र ?
   - कक्षा के कमरों की संख्या 12
   - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भंडार कक्ष 1, 1, 1
   - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर उपलब्ध
   - पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध
   - मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई —
   - अवरोध मुक्त पहुंच उपलब्ध
   - अध्यापक विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता उपलब्ध
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता हैं
13. किसी चार्टड एकांउटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हे प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की प्रति एक प्रति, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पाली को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड़ संख्या PBL/Sec/Eng/131 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पाली द्वारा समय समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसी निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्ते सलंग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

भवदीय

19/3/13

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) पाली

PRINCIPAL
LEELADEVI PARASMAL SANCHETI ENG. MED. SR. SEC. SCHOOL
C.B.S.E. Affiliation No. 1730491
Vidyawadi-Khimel,St. Rani (Dist. Pali) Raj. 306115

सत्यमेव जयते

Government of Rajasthan

Department of Minority Affairs and Waqf

Secretariat, Jaipur

S. No. : DMA/MSC/2019/ *18559* **Date :** *11/2/2020*

MINORITY STATUS CERTIFICATE

On consideration of documentary evidence produced before the Competent Authority, the Competent Authority declares that *Leela Devi Parasmal Sancheti English Medium School, Vidyawadi, Khimel, Station Rani, Pali (Raj)* managed by *Marudhar Mahila Shikshan Sangh, Vidyawadi, Rani, Pali (Raj)* is a Minority Educational Institution under Section 2(g) of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 read with the order issued by the Government of Rajasthan No. F.4(1) MAW/2013/5141, dated 15.04.2013.

Consequently, it is hereby declared that the aforesaid educational Institution is a Minority Educational Institution covered under Article 30 of the Constitution of India. The Institution shall comply with all the Rules and Regulations issued in this regard and display all necessary information in Public Interest on it's website.

Given under my hand and the seal of the Competent Authority on this *06.02.2020*

PRINCIPAL
LEELADEVI PARASMAL SANCHETI ENG. MED. SR. SEC. SCHOOL
C.B.S.E. Affiliation No. 1730491
Vidyawadi-Khimel, St. Rani (Dist. Pali) Raj. 306115

(Aparna Arora)
Principal Secretary